(iv) 14/25 अरुण

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

7 NOV 2014

इलाहाबाद

न्यास विलेख

संस्था ट्रस्ट का नाम	:	**सुबराजी देवी सेवा संस्थान**
संस्था ट्रस्ट का पूरा पता	:	ग्राम–भुसका, पो0–मेजारोड ता0 मेजा जनपद–इलाहाबाद
संस्था ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष

मैं सन्त लाल सिंह पुत्र स्व0 बैजनाथ सिंह आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम–भुसका, पो0–मेजारोड, जनपद–इलाहाबाद, जिसको इस प्रलेख में संस्थापक न्यासकर्ता प्रबन्धक/निदेशक/सचिव कहा गया है। प्रस्तुत विलेख की शर्त व उद्देश्य निम्न प्रकार होगा।

इस न्यास के माध्यम से चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यवसायिक शिक्षा, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, आवासीय विद्यालय, चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों, उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जनसेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोगों के हित में कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यो का संपादन करने के लिए उपयोग किया जायेगा। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई हैं :–

1– यह कि न्यास का गठन अंकन रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) से आरम्भ किया जा रहा है।

2– यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–भुसका, पो0–मेजारोड, जनपद–इलाहाबाद में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यो को सुचारू रूप से संपादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश एवं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेंगी और उन कार्यालय के पते पर उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3– सन्त लाल सिंह के त्याग पत्र अथवा निधन के पश्चात् रिक्त हुए संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्याख्या एवं उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप, मेरे (सन्त लाल सिंह) के उत्तराधिकारी, मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेगें।

4– यह कि मैं सन्त लाल सिंह अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी प्रबन्धक/निदेशक/सचिव रहूँगा तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यो तथा स्थापित की जाने

S-t lal Singh

स्टाम्प पंजिका का पृष्ठ संख्या 54 क्रमांक 56
स्टाम्प विक्रय की तिथि 6। ११। 2015
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम हीरालाल सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
पूरा पता ग्रा. मुरलीका मेजा इला०
स्टाम्प की धनराशि 500 पांच सौ

अरुण कुमार मिश्र

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र
लाइसेन्स नम्बर ४६६
लाइसेन्स की अवधि ३१-३-२०१५
तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

रजिस्ट्रार ... इलाहाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865407

वाली संस्थाओं का प्रबन्धक/निदेशक/सचिव भी कहा जाऊंगा। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं, निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप मं नामित करता हूँ। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित न्यासियों से मैने न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा। भविष्य में भी, संस्थापक मुख्य न्यासी प्रबन्धक/निदेशक/सचिव के रूप मं, मेरे जीवन पर्यन्त, मेरे द्वारा स्वविवेक से, अन्य लोगों को भी न्यासमण्डल के न्यासी के रूप में नामित किये जाने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिये जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी प्रबन्धक/ निदेशक/सचिव के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यासमण्डल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

न्यास मण्डल के न्यासियों का विवरण –

क्र0	नाम	पदनाम	पिता/ पति का नाम	पता	व्यवसाय	फोटो हस्ताक्षर
1.	सन्त लाल सिंह	मुख्यन्यासी/ प्रबन्धक/ निदेशक/ सचिव	स्व0 बैजनाथ सिंह	भुसका, मेजारोड इलाहाबाद	कृषि	S-+LLSinh
2.	ब्रजेश कुमार सिंह	न्यासी	श्री राम चन्द्र सिंह	भुसका, मेजारोड, इलाहाबाद	कृषि	[signature]
3.	रोहित कुमार सिंह	न्यासी	श्री रामचन्द्र सिंह	भुसका, मेजारोड, इलाहाबाद	कृषि	[signature]
4.	अमन सिंह	न्यासी	श्री राम चन्द्र सिंह	भुसका, मेजारोड, इलाहाबाद	कृषि	अमन सिंह
5.	दयानाथ सिंह	न्यासी	श्री सत्य नारायण सिंह	ग्राम व पो0– डोहरिया, सिरसा, इलाहाबाद	कृषि	दयानाथ
6.	सुरेश कुमार	न्यासी	श्री कृष्णा राम	ग्राम–खनिका, पो0–डीहा, करछना इलाहाबाद	कृषि	सुरेश कुमार

S-+LLSinh

स्टाम्प वापसी का पृष्ठ संख्या 62 क्रमांक 68

स्टाम्प विक्रय की तिथि 11 11 2014

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम सन्त लाल सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह

पूरा पता ग्रा. भुसका, मेजा इला०

स्टाम्प की धनराशि 100/- एकसौ

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र

लाइसेंस की अवधि 31-3-2009

तहसील- मेजा प्रांगण, जिला- इलाहाबाद

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
50,000.00	500.00	20	520.00	800

श्री सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक सन्त लाल सिंह

पुत्र श्री स्व0 बैजनाथ सिंह

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी भुसका मेजा रोड मेजा इलाहाबाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/8/2015 समय 2:20PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 सिंह (प्र0)
उपनिबंधक
मेजा-इलाहाबाद
11/8/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक सन्त लाल सिंह
पुत्र श्री स्व0 बैजनाथ सिंह
पेशा अन्य
निवासी भुसका मेजा रोड मेजा इलाहाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **सूबालाल सिह**

पुत्र श्री **जमुना प्रसाद सिह**

पेशा **कृषि**

निवासी **डोहरिया मेजा इलाहाबाद**

व श्री **प्रेम शंकर**

पुत्र श्री **शिवनाथ**

पेशा **कृषि**

निवासी **अमिलिया कलां मेजा इलाहाबाद**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

फोटो प्रमाणित कर्ता हीरालाल मिश्र एडवोकेट मेजा इलाहाबाद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 सिंह (प्र0)
उपनिबंधक
मेजा-इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BE 865408

5. **न्यास के उद्देश्य :–**

न्याय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1– शिक्षा संस्थाओं का संचालन करना जिसमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए शिक्षा तथा छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था करना।

2– बाल युवक महिला एवं समाज कल्याण केन्द्र और पुस्तकालय तथा वाचनालय चलाना, प्रौढ़ शिक्षा, बाल बाड़ी केन्द्रों का संचालन करना।

3– कृषि का विकास और श्रमिकों का लघु सीमांत तथा सीमांत कृषिकों का उत्थान करना एवं उनके बच्चों को शिक्षा देना।

4– शिक्षा देना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

5– छात्र/छात्राओं की शिक्षा हेतु उर्दू/अरबी/मकतब/ मदरसे आदि को चलाना।

6– समाज के हर आयु, जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार–प्रसार एवं भौतिक क्रियान्वयन् करना। भारतीय भाषाओं, साहित्य, प्राचीन सांस्कृतिक लोक परम्पराओं ऐतिहासिक पुरातत्व अवशेषों, नैतिक मूल्य, शिल्पकलाओं एवं रीति–रिवाजों के उत्थानजनक, संरक्षणपूरक, व्यवस्थित कार्य योजनाओं हेतु भौतिक प्रयासों का क्रियान्वयन करना।

7– अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति व गरीब असहाय बालक, बालिकाओं के उत्थान हेतु प्राइमरी से लेकर इण्टर कालेज, इण्टर गर्ल्स कालेज, डिग्री कालेज व गर्ल्स डिग्री कालेज, स्नातक तथा परास्नातक विद्यालयों को खोलना तथा निःशुल्क संचालन करना तथा आवासीय विद्यालय खोलना तथा छात्र व छात्रा के लिए छात्रावास खोलना तथा आई0सी0एस0ई0 तथा सी0बी0एस0सी0 बोर्ड द्वारा मान्यता लेकर विद्यालय खोलना तथा मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा शैक्षिक परिभ्रमण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।

8– छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु विधि कालेज एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने हेतु प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना तथा उनका निःशुल्क संचालन करना।

9– संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा परिषद व भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर बी0एड0, एम0एड0, बी0टी0सी0, बी0पी0एड0, एम0बी0पी0एड, बी0एल0एड0 इत्यादि संस्थानों की स्थापना तथा निःशुल्क संचालन करना।

10– संस्था की ओर से हास्पिटल, क्लीनिक की स्थापना कर जनमानस में सभी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, कैम्प लगाकर निःशुल्क जांच, चिकित्सा तथा निःशुल्क दवा वितरण, रक्तदान शिविर इत्यादि का आयोजन करना तथा निःशुल्क संचालन करना। गम्भीर रोग जैसे लाइलाज बीमारी एड्स, कैन्सर इत्यादि पर शोध करना तथा उन रोगों की निःशुल्क दवा वितरण आदि चैरिटेबुल कार्य करना।

5 NOV 2014

स्टाम्प पंजिका का पृष्ठ संख्या ... क्रमांक ...
स्टाम्प विक्रय की तिथि ...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...
स्टाम्प क्रेता का नाम ...
पूरा पता ...
स्टाम्प की धनराशि ...

स्टाम्प विक्रेता अरूण कुमार मिश्र
लाइसेन्स नम्बर ४५६
लाइसेन्स की अवधि स्थायी
तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

Registration No.: 14 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 सुबराजी देवी सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक सन्त लाल सिंह

स्व0 बैजनाथ सिंह

भुसका मेजा रोड मेजा इलाहाबाद

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865409

11– युवा वर्ग के कौशल, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक शारीरिक, चारित्रिक शैक्षिक विकास एवं उत्थान तथा राष्ट्रीय एकता एकीकरण, सामाजिक सहभागिता एवं नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में दहेज प्रथा, बाल विवाह को रोकने का प्रयास करना। जाति–पात को मिटाने का प्रयास करना एवं समस्त प्रकार के कार्य योजनाओं का संचालन करना।

12– अंधे, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे तथा विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए विकलांग स्कूल, कालेज, महाविद्यालय की स्थापना व संचालन करना। वृद्ध विकलांग, मूक बधिर, दृष्टिहीन, मानसिक रूप से कमजोर विधवा पतिता, परित्यागिता, देह व्यापार, समाज शोषित निराश्रित कुष्ठ रोगियों क्षय रोग अनाथ मुक्त महिलाएं एवं उनके बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले संसाधन विहीन परिवारों के उत्थान हेतु आवास महिला आश्रम बाल आश्रम एवं शिक्षित बेरोजगार युवा बालिका, महिला को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इलेक्ट्रानिक एयर कन्डीशनर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग तथा नेट कार्य कम्युनिकेशन, साईबर कैफे, शार्ट हैण्ड, टाइपिंग, प्रतियोगात्मक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना तथा कम्प्यूटरीकृत शिक्षण द्वारा प्रशिक्षित कर प्रिंटिंग का प्रशिक्षण तथा गोशाला, फल संरक्षण हेतु समग्र विकास कार्य योजनाओं का संचालन करना।

13– सर्वजन समुदाय तथा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों एवं बौद्ध समुदाय के अनुयायी वर्ग का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, कलात्मक, आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाऐं चलाना।

14– शिक्षा के प्रचार प्रसार, प्रबन्धन व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों/ तकनीकी बोर्ड एवं शिक्षा विभाग की अनुमति के पश्चात् विद्यालय, स्नातक/ परास्नातक विद्यालय, विकलांग विद्यालय, औद्योगिक संस्थान, कृषि कालेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की व्यवस्था करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कालेज, महाविद्यालय की स्थापना करना तथा तथा गरीब, अनाथ, मेधावी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

15– समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, विकासात्मक एवं उत्थानपूरक अवरोधों को दूर करने एवं समूह नष्ट करने जैसे दैविक आपदायें बाढ़, सूखा, अग्नि भूकम्प, ओला वृष्टि, तूफान आदि के समय में पीड़ितों को हर सम्भव सहायता हेतु समस्त प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

16– प्रदेश में खेल क्लब संस्कृति को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों में सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना तथा उनके भरण–पोषण की व्यवस्था करना। अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों खेल क्रियाकलापों हेतु रूचि, उत्साह जागरूकता पैदा करना एवं संसाधन उपलब्ध कराना तथा देश विदेश, प्रदेश स्तर पर खेलकूद के आयोजन पर सहायता करना

स्टाम्प वाजका का पृष्ठ संख्या 64 क्रमांक 60
स्टाम्प विक्रय की तिथि 6 | ११ | 2014
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम सन्त कुमार सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
पूरा पता ग्रा. मुरैठा मेजा इला०
स्टाम्प की धनराशि 100 एकसौ

स्टाम्प विक्रेता अशोक कुमार मिश्र
लाइसेन्स नम्बर [illegible]
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2025
तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—[illegible]

आशोक कुमार मिश्र

उप रजिस्ट्रार, मेजा, इलाहाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865410

खेल परिभ्रमण दिलाकर उत्साह बढ़ाना व व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय खोलना तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु समस्त प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

17– पर्यावरण के बारे में ग्रामीण युवकों को जानकारी देना हरे पेड़ों के कटने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करना।

18– विश्व बैंक द्वारा जनहित में सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे पेयजल योजना (स्वजल– जलधारा) जल संरक्षण कार्यक्रम, सिंचाई हेतु योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय, प्रान्तीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना तथा संचालन करना।

19– विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजनाओं जैसे कुष्ठ निवारण, एड्स से बचाव तथा उपचार, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण, स्वास्थ्य संवर्धन योजनाएं, परिवार कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं लागू करवाना, प्रचार–प्रसार, उपचार हेतु केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों से आर्थिक मद प्राप्त कर उद्दश्यों की पूर्ति में लगाना।

20– समाज के कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यकों, विकलांग, महिलाओं, विधवा, परित्यकता, बाल, वृद्ध के कल्याण के लिए कार्यक्रम संचालित करना।

21– जनता में सामाजिक, नैतिक सांस्कृतिक ग्रामोद्योगिक, वैज्ञानिक तकनीकी रचनात्मक कलात्मक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना ताकि जीवन सुखमय एवं सम्पन्न हो सके।

22– ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले गरीब, निर्धन, दलितों आदिवासियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों विकलांगों मूकबधिरों विधवाओं कारीगरों एवं निराश्रितों और श्रमिकों की आत्म निर्भर बनाने हेतु उनके शिक्षण प्रशिक्षण तथा पुर्नवास हेतु संस्थायें एवं उनका संचालन करना। समाज कल्याण दलित कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार प्रसार करना।

23– ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के साथ–साथ निःशुल्क पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण व टीका की व्यवस्था करना आदि। भारत सरकार द्वारा गठित जीव जन्तु कल्याणबोर्ड प्रायोजित समस्त पशु कल्याणकारी कार्यो का संचालन तथा अनुदान प्राप्त कर कार्यवाही करना।

24– छात्र एवं जन सामान्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। लोक कल्याण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण विकास परिषद द्वारा संचालित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

25– ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना। महिलाओं में खेल का प्रसार करना एवं ग्रामीण खेल कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना। पिछड़ी जातियों, दलितों, अल्पसंख्यकों तथा आदेवासियों के वर्गो में खेलों के प्रति रूचि उत्साह एवं जागरूकता पैदा करना तथा युवाओं को साहसिक कार्यो के लिए प्रोत्साहित करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना।

- 5 NOV 2014

[illegible] का पृष्ठ सं. 64 [illegible] 65

स्टाम्प विक्रय की तिथि 6 / 11 / 2014

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम लल्लन लाल सिंह पुत्र दौजनाथ सिंह

पता नि. मुलका मेजा इला०

स्टाम्प की धनराशि 100/ एक सौ

मोहन कुमार मिश्र

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र

लाइसेंस संख्या [illegible]

लाइसेंस की अवधि 31-3-2009

तहसील—मेजा प्रयाग, जिला—इलाहाबाद

सब रजिस्ट्रार, मेजा, इलाहाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865411

26– संस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता का शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक उन्नति करना होगा। संस्था कार्यक्रम बनायेगी तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी कर आम जनता को अवगत करायेगी तथा उनके माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा घोषित करना तथा धर्मनिरपेक्ष, अहिंसक सुयोग्य, सच्चरित एवं निष्ठावान व्यक्ति युक्त समाज की रचना करना।

27– जन–संसाधन विहीन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, वृद्धों युवाओं, महिलाओं एवं प्रौढ़ों के विकास एवं उत्थान हेतु महिलाओं बालिकाओं, युवाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, शिल्प कला, फैशन डिजाइन, चिकन जरी प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, बाल पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण देना और उन्हें स्वालम्बन की भावना जागृत करने की समस्त प्रकार की तद्मुक्त वांछित कार्य योजनाओं का संचालन करना तथा वांछित वर्गो को समस्त प्रकार से मार्ग दर्शन एवं भौतिक सहयोग प्रदान करना।

28– मानसिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तकनीकी, बौद्धिक सांस्कृतिक, आर्थिक, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ पेयजल इत्यादि के क्षेत्र में समाज के हर वर्ग, जाति, आयु, धर्म एवं सम्प्रदाय के लोगों हेतु प्रशिक्षण, संवर्ग अनुसंधान तथा समस्त भौतिक उन्नतवादि कार्य योजनाओं का सम्पादन करना तथा उक्त विषयक जागरूकता विकास हेतु परामर्श, पाठ्य सामग्री आंकड़े रिपोर्ट समीक्षा इत्यादि सामग्री विकसित करना तथा विभिन्न संचार माध्यमों से जन–जन तक पहुंचाना। प्रकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शिक्षा, स्पर्श चिकित्सा, दूरस्थ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना।

29– आर्युवैदिक, ऐलोपैथिक, दन्त चिकित्सा तथा होम्योपैथिक का निःशुल्क तथा जनहित का कल्याण करना एवं खाद्य प्रशंसकरण हेतु निःशुल्क हर्बल शतरीठा सत शैम्पू, जैम अचार, मुरब्बा, बेकरी, स्नेक फूड आदि का प्रशिक्षण देना एवं समस्त कार्य का संचालन करना।

30– ग्रामीण महिलाओं द्वारा समूह योजना बनाना तथा महिला समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना तथा सहायता प्रदान करवाना एवं महिला समूह सम्पादित राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का संचालन करना।

31– भारतीय हरित क्रान्ति में औद्योगिक टेक्नालॉजी पर्यावरण खाद्य उर्वरक पारम्परिक मत्स्य पालन, मधु पालन, मक्खी, कुकुट, जीवन जन्तु संरक्षण गोपालन करना तथा कृषि व वानिकी ज्वलन्त समस्याओं को जैसे भूमिरक्षण किटों के कुप्रभाव बाढ़ व सूख को नियंत्रित करना एवं बंजर भूमि पहाड़ी क्षेत्र के समतल कर कृषि योग्य बनाने का प्रयास करना तथा उनके द्वारा संचालित समस्त कार्य योजनाओं का संचालन करना।

32– बाल श्रम उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयास करना, बाल श्रम में जुड़े परिवारों के आर्थिक विकास की योजनायें बनाना एवम् उन्हे क्रियात्मक करना तथा बाल श्रमिकों का उद्धार करना एवम् उनकी शिक्षा–दीक्षा की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था करना।

स्टाम्प पंजिका का पृष्ठ संख्या 64 क्रमांक 62
स्टाम्प विक्रय की तिथि 6 / 11 / 2014
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible] बैजनाथ सिंह
पूरा पता ग्रा० मुलेका मेजा [illegible]
स्टाम्प की धनराशि १००/ एकसौ

अरुण कुमार मिश्र

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र
लाइसेन्स नम्बर ८५६
लाइसेन्स की अवधि ३१-३-२००९
तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

रजिस्ट्रार, मेजा, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865412

33– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग/ बोर्ड प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार अन्य अनुदान प्रदत्त व संस्थाओं द्वारा संचालित विधायक निधि, कपार्ट मानव विकास मंत्रालय, युनिसेफ, डवाकरा, सिफसा सैफ इण्डिया, यूनिसेफ नवार्ड, हेल्पेड इण्डिया, राजीव फाउन्डेशन नवराज आक्सफोम इण्डिया केयर, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की योजनाओं को संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने एवं इस हेतु अनुदान दान चन्दा अन्य सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।

34– अन्य वे सभी सोसाइटीज ऐक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हो।

6– **न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था :–**

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यासमण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारू प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन किया जायेगा। गठित होने वाली प्रत्येक उप–समिति/ समिति/प्रबन्ध समिति/ प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे प्रबन्ध निदेशक/सचिव के पदनाम से जाना जायेगा। इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उप–समिति/समिति/ प्रबन्ध समिति/ प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होंगे।

2– न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में चार बार अर्थात हर तीसरे माह में आवश्यक रूप से सम्पन्न की जायेगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह भी बैठक की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में किसी भी समय बैठक की जा सकती है। बैठक हेतु न्यामण्डल के सदस्यों को सूचना देने का माध्यम संदेश पंजिका/ पत्र/ ई–मेल/ मोबाइल फोन होगा। सामान्यतः बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से 07 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जायेगी। किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घंटे के अन्दर सूचना देकर कभी भी बैठक आहुत की जा सकेगी।

3– बैठक का कोरम न्यासमण्डल के 50 प्रतिशत न्यासी के अतिरिक्त 01 अन्य न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जायेगा। सामान्यतः न्यासमण्डल के बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी प्रबन्धक/निदेशक/सचिव अथवा मुख्य न्यासी (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा की जायेगी। मुख्य न्यासी द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित बैठक की समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उत्तराधिकार अनुक्रम में न्यासमण्डल के सदस्य द्वारा की जायेगी। संस्थापक मुख्य न्यासी के निधन होने अथवा त्याग–पत्र देने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक उत्तराधिकारी न्यासमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4– न्यासमण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जायेंगें। न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके

स्टाम्प पंजिका की पृष्ठ संख्या 64 क्रमांक 63

स्टाम्प विक्रय की तिथि 6/11/2014

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible] पुत्र बैजनाथ सिंह

पूरा पता ग्रा- [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 100/ एक सौ

अरुण कुमार मिश्र

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र

लाइसेन्स नं० [illegible]

लाइसेन्स की अवधि 31-3-200[illegible]

तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

उप निबन्धक/सब रजिस्ट्रार, मेजा, इलाहाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865413

सेवा शर्तो एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यासमण्डल के निर्णय से न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम/ संस्था में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी के निलम्बन एवं सेवा समाप्ति का अधिकार भी न्यासमण्डल को होगा।

5– न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावांछित समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत्सम्बन्धी नियामक संस्था, शासन, प्राधिकरण के अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उप नियमों का निर्माण करके किया जायेगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जायेगा। न्यासमण्डल का विधिवत गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जायेगा तथा उसे उक्त कार्यक्रम/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जायेगा। न्यासमण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

7– न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था :–

न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराये गये रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये) के अतिरिक्त धन, कोष, दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :–

1– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, लाभार्थियां द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जायेगा।

2– न्यासमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैकों इत्यादित से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ायी जा सकेगी। न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक/डाकघर, जिला सहकारी बैंक में ही खोला जायेगा। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी प्रबन्धक/निदेशक/सचिव को स्वयं एकल रूप से होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान आदि के सम्बन्ध में चल–अचल सम्पत्ति, बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी प्रबन्धक/निदेशक/सचिव का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गयी औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जायेगी।

स्टाम्प रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 64 क्रमांक 68

स्टाम्प बिक्री की तिथि 6 11 2014

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

एवं पता [illegible] इला०

स्टाम्प की धनराशि 100 एकसौ

आनन्द कुमार मिश्र

स्टाम्प विक्रेता [illegible] मिश्र

लाइसेंस नम्बर [illegible]

लाइसेंस की अवधि 31-3-2009

तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

...रार, मेजा, इलाहाबाद

सत्यमेव जयते

...प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 865414

3– किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये चंदे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल–अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासमण्डल को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों एवं वंशजों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा उसका स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा।

4– न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टेड एकाउंटेण्ट अथवा सम्परीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति पर सम्परीक्षित कराया जायेगा तथा नयास का बजट प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति के पूर्व न्यासमण्डल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5– विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों/शिक्षकों/ प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किये जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6– मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यक्रमों/संस्थाओं/प्रबन्ध समितियों के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते इत्यादि खोलने एवं बन्द करने का अधिकार मुख्य न्यासी को न्यासमण्डल की सहमति से होगा।

7– इस न्यास के अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था, आय, व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यासमण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

8– **न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था :**

न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

1– न्या की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम एवं शर्ते लागू होगीं।

2– न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होंगे। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकेगें।

3– न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियां को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय करने अथवा विकसित करने, चल/अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक

S. Tulsi

स्टाम्प पंजिका का पृष्ठ संख्या 64 क्रमांक 64
स्टाम्प विक्रय की तिथि 6 । 11 । 2014
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम सन्त लाल सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
पूरा पता सा० मुरका मेजा इला०
स्टाम्प की धनराशि 100, एक सौ

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र
लाइसेन्स नं० ५५८
लाइसेन्स की अवधि ३१-३-२००[illegible]
तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

उप रजिस्ट्रार, मेजा, इलाहाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BE 865415

कार्यवाही मुख्य न्यासी न्यासमण्डल की अनुमति से कर सकेगें। न्यास मण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर जनहित के कार्य हेतु देने अथवा निर्धन एवं दुर्बल वर्ग के व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से ही मान्य होगा।

4– न्यास की किसी भी अचल सम्पत्ति को सामान्यतः बेचने अथवा किसी व्यक्ति को सर्वाधिकार के साथ हस्तान्तरित करने का अधिकार किसी भी न्यासी/व्यक्ति को नहीं होगा। यदि न्यासमण्डल किसी सम्पत्ति को निष्प्रायोज्य होने की स्थिति में न्यास के हित में बेचे जाने को आवश्यक एवं अपरिहार्य समकझता है ता सक्षम न्यायालय अथवा विधिक रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही उक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग की बिक्री की जा सकेगी।

5– न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वालां को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास के अन्तर्गत होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियेां के विरुद्ध न्यास मण्डल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक/ प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रथमतः मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा मुख्य न्यासी द्वारा उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अन्तिम होगा।

6– न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्ध समिति के किन्ही कारणोवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/ अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर विधिक रूप स्थापित दूसरी प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये।

7– न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरुद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

8– न्यास अपनी सम्पत्ति के पबन्धन एवं दिन प्रति दिन के कार्यो के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर/ संविदा पर/ मानद रूप में करेगा तथा न्यास मण्डल, न्यास के हित संवर्धन के लिए सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

- 5 NOV 2014

स्टाम्प पंजिका का पृष्ठ संख्या 64 क्रमांक 65

स्टाम्प विक्रय की तिथि 6 । ११ । 2014

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम सन्त लाल सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह

पूरा पता ग्रा. ओरवरा, मेजा, इला०

स्टाम्प की धनराशि 100, एक सौ

अ०(हो) उमा मिश्र

स्टाम्प विक्रेता अरुण कुमार मिश्र

लाइसेन्स नम्बर ४५८

लाइसेन्स की अवधि ३१-३-२००९

तहसील—मेजा प्रांगण, जिला—इलाहाबाद

रजिस्ट्रार, मेजा, इलाहाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश